फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

गोपीलाल वगै0 बनाम सन्तोष वगै0

वाद नं0 :– 356/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश मे विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त तन्हा खातेदारी भूमि खाता सं0 187 रकबा 91 रकबा 3.8000है0 भूमि वाकै ग्राम लुनेठा, पटवार हल्का माथासूला, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण संयुक्त काबिज खातेदार है तथा कॉमन काज ऑफ एक्शन अराइज होने से उक्त प्रार्थना पत्र रास्ता हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त खातेदारी भूमि के चारों ओर कोई भी आने जाने का राजस्व नक्शें में रास्ता नही है। प्रार्थीगण की अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 91 में अप्रार्थी सं0 1 की भूमि खसरा नम्बर 449/98 रकबा 0.0300है0 एवं अप्रार्थी सं0 2 की भूमि खसरा नम्बर 94/393 रकबा 1.00है0 में होकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे से होकर आते–जाते है तथा अप्रार्थी सं0 1 की भूमि 449/98 नेशनल हाईवे–148 के लगवा स्थित है। अतः प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 449/98 व 94/393 में से संलग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जावे। पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लूनेठा में स्थित खसरा नम्बर 91 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 449/98 व 94/393 में से 4 मीटर चौडाई का रास्ता चाहता है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 449/98 के मौके पर लगभग 2 फीट ऊची दीवार निर्मित है तथा खसरा नम्बर 94/393 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार किस्म गै0मु0नला दर्ज है। जो प्रतिबन्दित श्रेणी में आती है। अतः प्रार्थीगणों को अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 91 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 94/393 में से रिकार्डेड रास्ता दिया जाना उचित नही है तथा प्रार्थीगणों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते हेतु अन्य कोई दूसरा विकल्प नही प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगणों को पुनः वाद पेश करने की अनुमति के छूट प्रदान की जाती है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	